है । इस समय, वैष्णो देवी, मथुरा-वृन्दावन और शेखावटी जैसे स्थानों पर हिन्दी में ब्रोशरों का प्रकाशन किया जा रहा है । अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य का मुद्रण सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

कृषि में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

1179. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता के बढ़ाने और उनकी कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों में, 1989-90 में इन्टरनेशनल फैडरेशन फार वीमैन इन एग्रीकल्चर और इण्डियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्ष 1990-91 के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : महोदय, वर्ष 1989-90 और 1990-91 में कृषि में अन्तर्राष्ट्रीय महिला संघ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उनमें निम्न शामिल थे :--

(i) 4 दिसम्बर, को कृषि दिवस पर महिला समारोह का आयोजन ;

(ii) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कुल कार्यक्रमों में से 30 प्रतिशत व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को खेतिहर महिला के लिए रखा जाना ;

(iii) कृषि में अखिल भारतीय अनुसंधान प्रयोजनाओं को आरंभ करना ;

(iv) अन्य विस्तार कार्यक्रमों जैसे क्षेत्र दिवसों, फार्म प्रदर्शन और किसान मेलों में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में विशेष प्रयास किया जाना ; और

(v) सेमीनार और सम्मेलनों में खेतिहर महिला वैज्ञानिकों के भाग लेने के लिए प्राथमिकता देना ।

उपभोक्ता आन्दोलन

1180. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तर की सेमीनार में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं ;

(ख) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) केंद्रीय सरकार ने हाल में कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित नहीं की हैं । पिछली संगोष्टी 17-3-90 को आयोजित की गई थी ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

स्व-वित्त पोषण योजना के अधीन मकानों का आबंटन

1181. **श्री रजनी रंजन साहू :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत मकानों का आबंटन किये जाने संबंधी नियम क्या हैं ;

(ख) आबंटित मकानों को किन परिस्थितियों में रद्द कर दिया जाता है और उन्हें पुन: आबंटित किये जाने के संबंध में नियम क्या हैं ;

(ग) ऐसे मकानों को पुनः आबंटित कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण कितना प्रभार वसूल कर रहा है और ऐसा आबंटन किये जाने के लिए किन-किन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आबंटित मकानों के रद्द किये जाने तथा उन के पुनः आबंटन में हेराफेरी किये जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण): (क) स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अलग रिलीज के लिए फ्लैटों का नियतन लाटरी द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक योजना में पात्र पंजीकृत व्यक्तियों की वरिष्ठता तथा स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों के नियतन के लिए पात्र पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित कालोनी की पसंद को ध्यान में रखा जाता है।

भुगतान करने और अपनी औपचारिकतायें पूर्ण करने के लिए सफल पंजीकृत व्यक्तियों को मांग तथा नियतन पत्र जारी किए जाते हैं।

फ्लैटों के पूर्ण होने के पश्चात्, के आबंटिती जिन्होंने भुगतान कर दिया है और अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं, को फ्लैट के विशिष्ट नियतन के लिए विचार किया जाता है।

(ख) आबंटितियों द्वारा समय पर किस्तों की अदायगी न करने और निर्धारित प्रावधानों/औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण आबंटन रद्द कर दिए जाते हैं।

विवरणिका में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार रद्द किए गए फ्लैटों को आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटन के लिए दुबारा रिलीज किया जाता है।

(ग) रद्द किए गए फ्लैटों का आबंटन/नियतन श्रेणी-II फ्लैटों के लिए 2500 रुपये और श्रेणी-III फ्लैटों के लिए 3750 रुपए की दर से पुनः प्रचलन प्रभारों की अदायगी पर पुनः स्थापन हेतु विचार किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Survey of Railway line from Bagrinagar to Metra road

1182. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: whether it is a fact that Government propose to start survey for construction of New Rail Line from Bagrinagar to Metra Road via Bilara- Borunda on account of mineral explorations in western part of Rajasthan so as to meet the requirement of quick transport of lime and lime stone and increased demand for rail pessengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHAKTA CHARAN DAS): No, Sir.

Constructoin of rail lines from Bilara to Merta to Ajmer

1183. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Planning Commission have allocated funds for the construction of new Rail Lines from Bilara to Bar; Merta to Ajmer via Puskar, which survey work was completed long back;

(b) if so, when the work of construction would be started; and

(c) if the reply to Part (b) above be in negative, whether Government would start the work by allocating funds out of the general budget for construction of new Rail Lines to meet long standing demand of the said areas?